पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उप। पत्रावली में प्रतिवादी अधि. द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं वादी अधि. द्वारा जवाब मौखिक रूप से दिया गया।

पत्रावली में यह बात सामने आयी, जो कि वादी अधि. द्वारा वाद पत्र में एवं आय की दोहराई गई की, उसी खसरा नं, एवं उसी खातेदारों के समक्ष, अति. कलेक्टर न्यायालय में 14(5) LR के तहत प्रार्थना पत्र वाद दाखिल होने से पहले किया जा चुका है जो अभी तक निर्णित नहीं है।

आज वादी अधि. द्वारा बहस में बोला गया कि अति. कले. न्यायालय में, 14(5), केवल एक प्रार्थना पत्र है परन्तु उपखण्ड न्यायालय के समक्ष धारा 88, 89, 109 के तहत

declaration का वाद दाखिल किया गया है। यह वाद खारिज होने योग्य है, क्योंकि

(1) ऐसा वाद तभी इस न्यायालय में लाना उचित है जब 14(4) के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रतिवादी का अलोटमेंट खारिज करने को न लगाया गया हो, क्योंकि 88 धारा मे 14(4) LR सम्मलित है।

(2) अब जब प्रार्थना पत्र दाखिल हो ही गया है तो उपरोक्त न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उससे यह वाद प्रभावित होगा। अगर उपरोक्त न्यायालय ने, यह वाद प्रतिवादी के हक मे यानी अलोटमेंट को सही मानते हुए किया, तो यह वाद का कोई मूल नहीं रह जायेगा और अगर वादी के हक मे हुआ तो उपरोक्त खसरा बिनाम सरकार दर्ज किया जायेगा और उसपर 88 का वाद या पुनः अलोटमेंट तभी होगा,

Scanned by CamScanner

जब सरकार द्वारा बिलानाम
जमीन पर कब्जे की दिनांक
तय की जायेगी । अत:
वाद खारिज किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

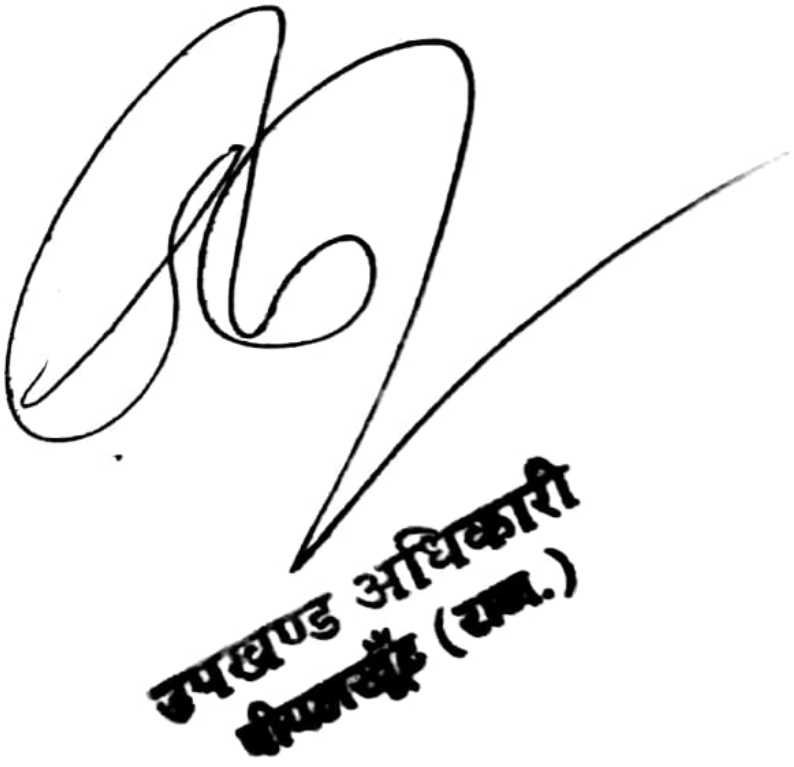

Scanned by CamScanner